



**अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) कल्याणी**  
**All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) Kalyani**  
**(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में एक सांविधिकनिकाय)**  
**(A Statutory Body under the Aegis of Ministry of Health and Family Welfare, GOI)**  
**राष्ट्रीय राजमार्ग – 34, बसन्तपुर, सागूना, कल्याणी, ज़िला – नदिया, पश्चिम बंगाल - 741245**  
**NH-34 Connector, Basantapur, Saguna, Kalyani, District Nadia, West Bengal 741245**

---

1. प्रार्थी का नाम(Name of The Applicant) :
2. पद(Post Hold) :
3. विभाग/कार्यालय और अनुभाग(Dept./office and section):
4. अवकाश का प्रकार(Nature of Leave) : अर्जित अवकाश(EL)/अर्ध वेतन अवकाश(HPL)/  
असाधारण अवकाश(EOL)/शिशु-देखभाल अवकाश(CCL)
5. अवकाश की अवधि(Period of Leave) : दिनांक(From) \_\_\_\_\_ से दिनांक(To) \_\_\_\_\_ तक  
यदि कोई रविवार/छुट्टी एवं पूर्वलग्न और अनुयोजन सम्मिलित करना हो तब :  
पूर्वलग्न \_\_\_\_\_ अनुयोजन \_\_\_\_\_  
(Period of Leave applied for Sundays/Holidays if any Prefix/Suffixed to leave) :  
Prefix \_\_\_\_\_ Suffix \_\_\_\_\_
6. अवकाश लेने का कारण  
(Ground on which leave is applied) : \_\_\_\_\_
7. पता (अवकाश के दौरान) और मोबाइल नं.  
(Address during leave period with Mobile No.) : \_\_\_\_\_
8. पिछले अवकाश से वापसी की तिथि और उस अवकाश की अवधि एवं प्रकार  
(Date of return from last leave and  
the nature and period of that leave): \_\_\_\_\_
9. मैं आगामी अवकाश के दौरान ब्लॉक वर्ष \_\_\_\_\_ में अवकाश/यात्रा रियायत का लाभ उठाने/नहीं उठाने का प्रस्ताव  
रखता/रखती हूँ ।  
(I propose/do not propose to avail myself of leave/travel concession in this block year \_\_\_\_\_  
during the ensuing leave.)
10. कार्यमुक्त करने वाले का नाम (जो आपकी अनुपस्थिति में कार्यभार ग्रहण करेंगे): \_\_\_\_\_  
Reliever's name (who will look after the assigned duties during) of as same: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (पदनाम)/Designation \_\_\_\_\_ (हो)/signature \_\_\_\_\_
11. मैं वचन देता/देती हूँ कि औसत वेतन/परिवर्तित छुट्टी के दौरान आहत(अनिर्णित) अवकाश वेतन और अर्ध औसत वेतन/अर्ध वेतन अवकाश के दौरान ग्राह्य, जो कि अंत में मेरी सेवनिवृत्ति पर या अवकाश हेतु लागू नहीं होता है, के बीच के अंतरीय राशि वापस करूंगा/करूंगी।  
I undertake to refund the difference between the leave salary drawn during leave on average pay/commuted leave and admissible during leave on half average pay/half pay leave, which would not have been applied in the event of my retirement from service at the end or during the currency of the leave.

12. मैं वचन देता/देती हूँ कि मेरी स्वेच्छा से सेवनिवृत्ति होने पर या किसी भी समय पदत्याग पर यदि मैं कम से कम आधे वेतन की उतनी छुट्टी अर्जित न कर सके जितनी अग्रिम छुट्टी मैंने ली है तो अग्रिम छुट्टी के दौरान, जो मूल नियम 81(ख)/ संशोधित छुट्टी नियमावली, 1993 के नियम 11(घ)के लागू न किए जाने पर मुझे मिले छुट्टी के वेतन को वापस कर दूंगा/दूँगी।

I undertake to refund the leave salary drawn during leave not due which would not have been admissible had F.R 81 (c) / Rule 11 (d) of the Revised Leave Rules 1933 not been applied, in the event of my voluntary retirement or resignation from service at any time until I earn half pay leave not less than the amount of leave not due availed of by me.

दिनांक/Date:

हस्ताक्षर/signature \_\_\_\_\_

पदनाम/Designation\_\_\_\_\_

नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा अनुशंसित/RECOMMENDATION BY THE CONTROLLING AUTHORITY

अनुशंसित(Recommended)/ अनुशंसित नहीं(Not Recommended)

नियंत्रण प्राधिकारी का मुहर सहित हस्ताक्षर  
Seal & Signature of Controlling Authority

**अवकाश की ग्राह्यता के संबंध में प्रमाण पत्र**

**CERTIFICATE REGARDING ADMISSIBILITY OF LEAVE**

(राजपत्रित अधिकारियों के मामले में प्रधान महालेखाकार द्वारा/By Pr. Accountant General in the case of Gazetted Officers)

13. प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक:\_\_\_\_\_ से दिनांक: \_\_\_\_\_ तक \_\_\_\_\_ के कारण से \_\_\_\_\_ (अवकाश का प्रकार) नियम \_\_\_\_\_ के अनुसार स्वीकार्य है।

Certified that \_\_\_\_\_ (Nature of Leave) for \_\_\_\_\_ from \_\_\_\_\_ to \_\_\_\_\_ (period) is admissible under rule \_\_\_\_\_ of the \_\_\_\_\_ (Rules)

(हो)/signature\_\_\_\_\_

पदनाम/Designation\_\_\_\_\_

14. स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी का आदेश

Orders of the sanctioning authority:

(हो)/signature

पदनाम/Designation\_\_\_\_\_

- यदि आवेदक कोई प्रतिकर भत्ता प्राप्त कर रहा है, तो मंजूरी देने वाले प्राधिकारी को लिखना चाहिए कि क्या अवकाश की समाप्ति पर उसके उसी पद पर लौटने की संभावना है या समान भत्ते वाले किसी अन्य पद पर लौटने की संभावना है।

If the applicant drawing any compensatory allowance, the sanctioning authority should state whether on the expiry of leave he is likely to return to the same post or to another post carrying a similar allowance.